भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CH 002695 CH 002695

।। श्रीहरिः ।।

1. भूमि का प्रकार : आवासीय भूखण्ड

2. मौहल्लां/ग्राम : बैनामा भूखण्ड स्थित मौजा सुनरख बांगर अन्दरून सरस्वती बिहार कालौनी, तहसील व जिला मथुरा नगर पालिका सीमा के बाहर

3. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं.) : भूखण्ड नं0-85 का भाग, जो खसरा नं0-984 की भूमि में स्थित है,

4. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर,

मीरादेवी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CH 002696

10 AUG 2013

{2}

5. सड़क की स्थिति : 6 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है दोतरफ मार्ग

6. प्रतिफल की धनराशि : 5,98,000/-रु.,

7. सरकारी मालियत : 5,98,000/-रु.,

8. देय स्टाम्प -42,000/-रु.

9. उक्त क्षेत्र की जमीनों का सरकारी रेट -6500/-रुपया प्रति वर्ग मीटर है, किन्तु दोतरफ मार्ग होने के कारण 10 प्रतिशत अतिरिक्त जो रेट लिस्ट में पेज नं0-19 क्रमांक 392 कोड नं0-0128 पर दर्ज है, कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय मथुरा।

मीरा देवी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

5000

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CH 002697

CH 002697

10 AUG 2018

प्रथम पक्ष विक्रेता

श्रीमती मीरा देवी शुक्ला पत्नी श्री रोहिणी प्रसाद शुक्ल निवासी–गौरा नगर कालौनी, वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा मो0–7217516610

द्वितीय पक्ष क्रेता

पिंक सिटी प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दुर्गेश अग्रवाल पुत्र श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल निवासी–सेवाकुंज, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा मो0–9690399711

मीरा देवी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CH 002698 CH 002698

10 AUG 2018

{4}

जो कि एक किता भूखण्ड नं0-85 का भाग, पैमाईशी पूरब से पश्चिम-60 फीट, उत्तर से दक्षिण-15 फीट, क्षेत्रफल 100 वर्गगज बराबर 83.61 वर्गमीटर, जिसकी सीमा यह है-

पूरब- रास्ता 15 फीट पश्चिम- प्लाट नं0-82, 83 व 84

उत्तर- रास्ता 15 फीट दक्षिण- प्लाट नं0-85 का भाग व 86 व 87

स्थित-**मौजा सुनरख बांगर अन्दरून सरस्वती बिहार कालौनी, तहसील व जिला मथुरा** जिसको संलग्न नक्शे में रंग लाल से दर्शाया गया है जो खसरा नं0-984 की भूमि में स्थित है, मिल्कियत प्रथम पक्ष की है जिस जमीन को प्रथम पक्ष ने अन्य जमीन सहित बजरिये बैनामा दिनांक 05.03.1991 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 312 पृष्ठ 307-322 नं0-1617 पर हुयी है, बाबू सिंह पुत्र श्री भीम सिंह से मनोज कुमार चतुर्वेदी व सुनील कुमार के साथ मिलकर खरीद किया, वर्णित प्लाट जमीन प्रथम पक्ष के हिस्से व कुरे की भूमि में से है। जिस पर प्रथम पक्ष का ही वास्तविक मालिकाना कब्जा है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम सरकारी कागजात आदि में दर्ज है, सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त भूखण्ड का अन्य

मीरा देवी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CH 002699 CH 002699

10 AUG 2018

{5}

कोई मालिक व हकदार नहीं है और उक्त भूखण्ड किसी जगह रहन व गिरवी आदि नही है और ना ही किसी सरकारी संस्था या बैक आदि में बंधक है और ना ही उक्त सम्पत्ति की बाबत कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रथम पक्ष को उक्त भूखण्ड की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है। उक्त भूखण्ड हर प्रकार के झगड़े-झंझट व कर्जे आदि से पाक साफ, तन्हा प्रथम पक्ष की ही सम्पत्ति है और उक्त भूखण्ड की बाबत प्रथमपक्ष ने कोई इकरारनामा पंजीकृत या अपंजीकृत किसी के साथ तय नहीं किया है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जो उक्त भूखण्ड के हस्तान्तरण करने में बाधा या रुकावट डाल सके। उक्त भूखण्ड से कोई खास लाभ व आय प्रथम पक्ष को नहीं है व अपनी जरूरतो के लिये प्रथमपक्ष को धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष ने उक्त भूखण्ड को बेच देना तय किया है द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड कों अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है। इसी कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है और उक्त भूखण्ड का अन्य भूखण्ड सहित रोहिणी प्रसाद शुक्ल आदि ने एक किता पट्टा विलेख दिनांक 03.09.1996 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 158 पृष्ठ 203-208 नं0-3194 पर दिनांक 16.10.1996 को हुयी है,

मीरा देवी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CH 002700

CH 002700

10 AUG 2018

अजय सिंघल पुत्र श्री त्रिलोकचन्द सिंघल के हक में निष्पादित किया था जिसके उपरान्त अजय सिंघल उक्त भूमि का पट्टा विलेख दिनांक 31.01.2015 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 6990 पृष्ठ 301-310 नं0-1355 पर हुयी है, हरीओम गुप्ता पुत्र स्व0 श्री यादराम गुप्ता के हक में निष्पादित कर दिया तदोपरान्त हरीओम गुप्ता ने उक्त भूमि का पट्टा विलेख दिनांक 02.07.2018 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 8894 पृष्ठ 379-388 नं0-7558 पर हुयी है, विक्रम सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी-अहीरपाड़ा, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा के हक में निष्पादित कर दिया जिसके वर्तमान में उक्त विक्रम सिंह ही कब्जेदार है और आज उनकी सहमति व स्वीकृति से ही प्रथम पक्ष उक्त भूखण्ड द्वितीय पक्ष को विक्रय कर रही है जिसकी पुष्टि के लिये विक्रम सिह उपरोक्त इस प्रलेख में बतौर गवाह हस्ताक्षर कर अपनी पूर्ण सहमति व स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं व कब्जा क्रेता के सुपुर्द कर रहे हैं।

मीरादेवी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

5000

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CH 006084 CH 006084

TREASURY OFFICER, MATHURA

18 AUG 2018

चुनांचि उक्त भूखण्ड को समस्त हक हकूक अधिकारों व सुखाधिकारों सहित जो प्रथम पक्ष को प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त हों यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक के मय राईट्स व इन्ट्रेस्ट व टाईटिल के वखुशी वराजी अपने वऐवज 5,98,000/–रु. (पांच लाख अठ्ठानवे हजार रुपया) कि जिनके आधे 2,99,000/–रु. (दो लाख निन्यानवे हजार रुपया) होते हैं, बदस्त **पिंक सिटी प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दुर्गेश अग्रवाल पुत्र श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल निवासी–सेवाकुंज, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा** क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में बेच दिया और कीमत का कुल रुपया प्रथमपक्ष ने द्वितीय पक्ष से नीचे लिखे अनुसार प्राप्त कर कीमत का कुल रुपया प्राप्ति स्वीकार कर प्रथमपक्ष ने कब्जा व दखल बेचे गये खाली भूखण्ड पर द्वितीय पक्ष का वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष क्रय किये गये भूखण्ड के आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गए। वह समस्त अधिकार मालिकाना व

मीरा देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CH 006085

1 8 AUG 2018

TREASURY OFFICER

{8}

हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और अपना नामान्तरण सरकारी कागजात आदि में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और निर्माण करे बंधक करे और जो चाहे सो करे। अब बेचे गये उक्त भूखण्ड में प्रथम पक्ष व उसके वारिसो का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति बेचे गये भूखण्ड की बाबत दावा, झगड़ा उत्पन्न करे और जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष क्रेता से निकल जावे या कहीं रहन आदि निकले और उसकी बाबत द्वितीय पक्ष को कुछ खर्च करना पडे या देना पडे तो प्रथम पक्ष की हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। द्वितीय पक्ष अपनी कीमत का दिया गया रूपया मय हर्जा खर्चा व लागत व अदा खर्च किये गये रूपयों को मय सूद के प्रथम पक्ष व उसकी हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति से बाजाप्ता बजरिये अदालत प्राप्त कर ले, इसमें प्रथम पक्ष व उसके वारिसो को कुछ उज्र न होगा। बेचा गया भूखण्ड आवास विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। क्रेता विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराया गया भूखण्ड को फोटो इस प्रलेख के साथ चस्पा किया जा रहा है। स्टाम्प खर्च फीस आदि समस्त खर्चा बैनामा क्रेता ने वहन किया है।

मीरादेवी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 013143

10 AUG 2018

<u>विवरण कीमत का कुल रुपया प्राप्ति का :-</u>

कीमत के कुल रुपयों में से प्रथम पक्ष ने द्वितीयपक्ष से 2,00,000/-रुपये चैक नं0-001430 दिनांक 11.02.2018 व 3,00,000/-रुपये चैक नं0-001443 दिनांक 23.02.2018 दोनों एचडीएफसी बैक व 98,000/-रुपये चैक नं0-000032 दिनांक 21.08.2018 सैन्ट्रल बैक आफ इण्डिया द्वारा, इस प्रकार कुल मीजान-5,98,000/-रुपया प्राप्त कर लिया है।

मीरा देवी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 013144

10 AUG 2018

TREASURY OFFICER

{10}

इसलिए यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ा व सुना कर, ड्राफ्ट व टाइप किया गया है।

दिनांक : 21.08.2018
टाईप किया : दीपक, मथुरा।
ड्राफ्ट किया : प्रशान्त शर्मा एडवोकेट, मथुरा।

मीरा देवी

गवाह-विक्रम सिंह पुत्र गोपाल सिंह
नि0-अहीरपाड़ा वृन्दावन मो0-9412470280

गवाह-रोहिणी प्रसाद शुक्ल पुत्र सीताराम जी
नि0-गौरानगर कालौनी वृन्दावन मो0-7217516610

रोहिणी प्रसाद

Scanned by CamScanner

21 AUG 2018

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 8979 के पृष्ठ 143 से 164 तक क्रमांक 9497 पर दिनाँक 21/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय प्रकाश पाण्डेय

उप निबंधक : सदर द्वितीय

मथुरा

21/08/2018

Scanned by CamScanner

SITE PLAN OF THE PART PLOT NO. 85 SITUATED AT SARASWATI VIHAR COLONY. [illegible]
KHASRA NO. 984, TEH. & DISTT. MATHURA U.P.
OWNER- SMT. MEERA DEVI SUHAL W/O SRI
[illegible] PRASAD SUHAL

SCALE-1"=20'0"

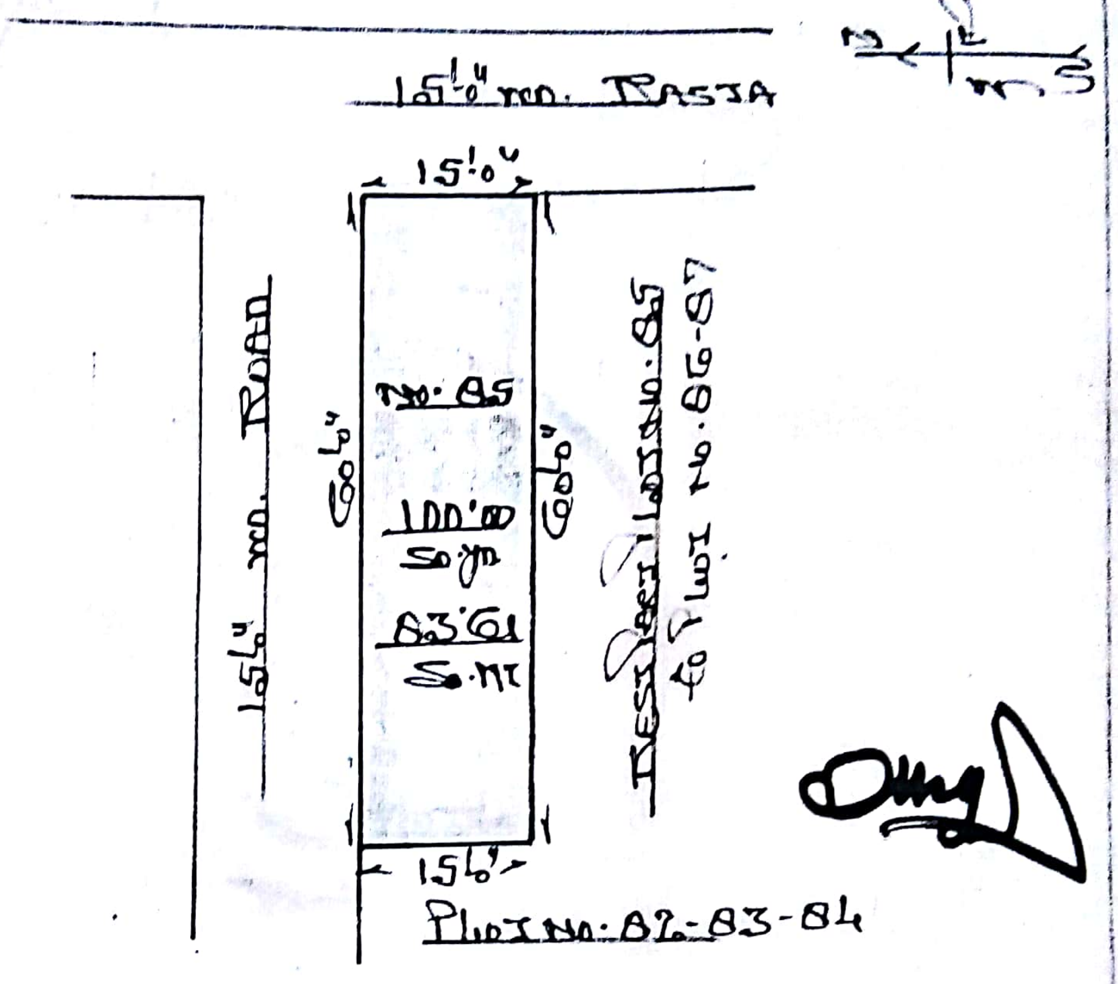

मीरा देवी

Trace By.
P.L. CHATURVEDI
D'MAN. MATHURA
21-8-2011

Scanned by CamScanner